भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 945

उत्तर देने की तारीख: 08.02.2021

विषय-वार प्रोफेसरों की कमी

† **945. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री रवि किशन:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री चंद्र शेखर साह्न :

श्री एस. वेंकटेशन:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विषय-वार प्रोफेसरों, लैब तकनीशियनों और अन्य गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी है, जो उत्तम गुणवत्ता शिक्षा के लिए पूर्व-अपेक्षित है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार और विषय-वार कमी का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा/सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) आगामी पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किन-किन राज्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं तथा किन-किन राज्यों में इसकी स्थापना का विचार है; और

(ड.) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.09.2020 तक शिक्षण और गैर-शिक्षण रिक्त पदों की कुल संख्या क्रमश: 6210 और 12437 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में 01.02.2021 और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 196 शिक्षण पद और 1235 गैर-शिक्षण पद रिक्त हैं। तीन संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 21 शिक्षण और 108 गैर शिक्षण पद रिक्त हैं।

(ख) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों का विषय-वार ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है। शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 46 है।

(ग): जी हां।

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत आंध प्रदेश में दो नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दो नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जिनमें एक भागलपुर, बिहार में और दूसरा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(ड.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 4 जून, 2019 को अपने अ.शा. पत्र संख्या एफ.1-14/2019 (सीपीपी-II) के माध्यम से चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा का निर्धारण करते हुए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और समवत विश्वविद्यालयों में संकाय की भर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना हेतु इन्हें सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है।

******